तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खाता संख्या 71 में वर्णित आराजी नम्बर 440 एवं खाता संख्या 88 में वर्णित आराजी नम्बर 430 स्थित है जो वादीया की संयुक्त खातेदारी की है निवेदन किया गया है। वादीया का नाम काली बाई है परन्तु खाता संख्या 70, 71 व 88 में गलत से काली बाई दर्ज हो गया है जबकि वादीया का वास्तविक नाम काली बाई है जिसको राजस्व रेकार्ड में शुद्ध किया जाना है। वादीया को दोनो नाम से जाने जाते है इसलिए राजस्व रेकार्ड में काली दर्ज हो गया है। जबकि वादीया के दस्तावेज आधारकार्ड जन आधार कार्ड वोटर कार्ड में कालीबाई अंकित है। तथा वादीया के एक अन्य खाता संख्या 6 में वर्णित आराजीयात में भी वादीया का नाम काली बाई दर्ज है जो सही है। इसलिए वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खाता सं. 70, 71, 88 में वर्णित काली बाई की जगह पर काली दर्ज करने की घोषणा हेतु निवेदन किया गया है। इसी प्रकार से खाता संख्या 70 में वादीया की जाति बावरी के स्थान पर चमार लिखा गया है जिसको दुरस्त कर चमार के बजाय बावरी दर्ज करने की घोषणा हेतु वादपत्र पेश किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र को वाद जांच दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किया गया। दिनांक 7.10.2025 को प्रतिवादी सं. 1, 4, 3, 5, 6 स्वयं ने उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि वादीया का वास्तविक नाम राजस्व रेकार्ड में काली बाई के [illegible] किया जाने पर इनको कोई [illegible] नहीं होना प्रकट किया गया [illegible] का वाद पत्र [illegible] गई। साक्ष्य वादीया ने [illegible] पत्र, जन्तर्गत आदेश 18 नियम [illegible] पी. डी. का पेश किया गया जिस पर वादीया का बयान कराये गये वादपत्र के साथ पेश	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़
09/01/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की गई वादी की नमाल प्रदर्श अंकित कराई गई तथा शपथ पत्र की साक्षीय पत्रावली किया गया। वकील वादीया की साक्ष्य को बंद की गई। वकील वादीया वादीया की बहस को सुना गया। वकील वादीया की एक पक्षीय बहस को सुना गया। वकील वादीया ने बहस में कथन किया गया कि वादीया ने जो रे बहस में कथन किया गया कि वादीया ने जो ग्राम नलवाईपुरा पटवार मोरवन में खातेदारी भूमि ग्राम नलवाईपुरा पटवार मोरवन में वर्णित आराजियात खाता संख्या 70, 71 व 88 में वर्णित आराजियात स्थित है जिसमें काली के बजाय काली दर्ज हो गया है उसको शुद्ध काली बाई दर्ज करने की घोषणा की जावे तथा खाता संख्या 70 में वर्णित आराजियात में भी वादीया की जाति में बावरी है जबकि इस खाते में चमार अंकित कर दिया गया है जिसको भी बावरी दर्ज करने की घोषणा की जावे। वकील वादीया की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनतापूर्वक परीक्षण किया गया परीक्षण उपरान्त पाया गया कि ग्राम नलवाईपुरा पटवार मण्डल मोरवन के खाता संख्या 70, 71 व 88 में वर्णित आराजी में वादीया का नाम काली बाई दर्ज है वह त्रुटिपूर्ण है जिसको शुद्ध काली बाई दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। इसी प्रकार से उक्त खाता संख्या 70 में वर्णित आराजी में वादीया की वास्तविक जाति बावरी है जबकि इस खाता में जाति चमार अंकित की गई है जो अशुद्ध है जिसको शुद्ध चमार के बजाय बावरी दर्ज किया जाना उचित है। इससे प्रतिवादीगण का कोई हित प्रभावित भी नहीं होता है। इसलिए वादीया का वादपत्र [illegible] धारा 88 आर. टी. एक्ट का [illegible] स्वीकार किया जाता है। तथा ग्राम नलवाईपुरा के खाता सं. 70, 71 व 88 में वर्णित काली बाई के बजाय काली बाई दर्ज करने का तथा खाता संख्या 70 में वर्णित चमार के बजाय	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:32:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिकाद जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बावजूद दर्ज किया जाकर खारिज किया जावें इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। डिक्री पारित शुद्धि होकर संलग्न पत्रावली हो। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नायब से जमा हो।	
	उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:32:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner